रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/98 REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3— उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3— Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 1998/आश्विन 16, 1920
No. 385] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 1998/ASVINA 16, 1920

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 1998

सा. का. नि. 605 (अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967(1967 का 15) की धारा 5 के साथ पठित धारा 24 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पासपोर्ट नियमावली, 1980 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित और नियम बनाती है :—

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 1998 कहा जाए।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पासपोर्ट नियमावली 1980 (इसके बाद से मूल नियम के रूप में उल्लिखित) के नियम 12 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, यथा :—

"(1) 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को छोड़कर अन्य लोगों के लिए इसके जारी होने की तारीख से 10 अथवा 20 वर्षों की अवधि के लिए , जैसा की मामला हो, छत्तीस पृष्ठ अथवा साठ पृष्ठों से युक्त सामान्य पासपोर्ट लागू होगा।

(1 क) 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए इसके जारी होने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए अथवा 15 वर्ष की आयु प्राप्त हो जाने तक, जो भी पहले हो, छत्तीस पृष्ठों से युक्त सामान्य पासपोर्ट लागू होगा।"

3. मूल नियमों की अनुसूची IV में :—

(क) क्रम सं. 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

1	2	3	4
"1.	10 वर्षों की अधिकतम वैधता के साथ सामान्य पासपोर्ट (यदि आरंभिक वैधता अवधि कम हो तो 10 वर्षों तक के नवीकरण के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।)	300.00 रुपये	750.00 रुपये
1 क.	20 वर्षों की अधिकतम वैधता अवधि के साथ छत्तीस पृष्ठ का सामान्य पासपोर्ट (यदि आरंभिक वैधता अवधि कम हो तो 20 वर्षों तक के नवीकरण के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।)	600.00 रुपये	1500.00 रुपये
1 ख.	10 वर्ष की वैधता के साथ साठ पृष्ठों का सामान्य पासपोर्ट (यदि आरंभिक वैधता अवधि कम हो तो 10 वर्षों तक के नवीकरण के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।)	500.00 रुपये	1000.00 रुपये

1	2	3	4
1 ग.	20 वर्ष की वैधता के साथ साठ पृष्ठों का सामान्य पासपोर्ट (यदि आरंभिक वैधता अवधि कम हो तो 20 वर्षों तक के नवीकरण के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।)	800.00 रुपये	1750.00 रुपये
1 घ.	15 वर्ष से कम आयु के अवस्यक बच्चों के लिए अधिकतम पांच वर्ष की वैधता अवधि के साथ छत्तीस पृष्ठों का सामान्य पासपोर्ट	200.00 रुपये	500.00 रुपये"

(ख) क्रम सं. 14 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, यथा :—

1	2	3	4
"14.	36 पृष्ठों की नई पासपोर्ट पुस्तिका जारी करने के लिए अपेक्षित विविध सेवाएं	300.00 रुपये	750.00 रुपये
14 क.	60 पृष्ठों की नई पासपोर्ट पुस्तिका जारी करने के लिए अपेक्षित विविध सेवाएं	500.00 रुपये	1000.00 रुपये"

(ग) क्रम सं. 21 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, यथा :—

1	2	3	4
"21	गुम हुए, चोरी हुए, क्षतिग्रस्त, नष्ट हुए पासपोर्ट के स्थान पर अथवा किसी अन्य कारण से डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी करना।	2500.00 रुपये	6500.00 रुपये"

[फा. सं. VI/401/39/93]

फ्रांसिस वाज, संयुक्त सचिव

टिप्पण : —मुख्य नियम 11 दिसम्बर, 1980 की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 697 (ई) के तहत प्रकाशित किए गए।

(1980 विदेश) भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित :—

1. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 50 (ई) दिनांक 7 फरवरी, 1981
2. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 467 (ई) दिनांक 24 जून, 1982
3. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 325 (ई) दिनांक 12 अप्रैल, 1984
4. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 494 (ई) दिनांक 16 जून, 1983
5. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 345 (ई) दिनांक 29 मार्च, 1985
6. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 860 (ई) दिनांक 1 दिसम्बर, 1985
7. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1155 (ई) दिनांक 21 नवम्बर, 1990
8. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 100 (ई) दिनांक 4 मार्च, 1992
9. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 503 (ई) दिनांक 10 जुलाई, 1993
10. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 622 (ई) दिनांक 27 जून, 1990

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 1998

G.S.R. 605 (E).—In exercise of the powers conferred by section 24, read with section 5 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the passport Rules, 1980, namely :—

1. (1) These Rules may be called the passports (Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Passsport Rules, 1980 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 12 for sub-rule(1), the following sub-rules shall be substituted namely :—

"(1) An ordinary passport for persons other than children below the age of 15 years, containing thirty-six pages or sixty pages shall be in force for a period of 10 years or 20 years as the case may be, from the date of its issue.

(1A) An ordinary passport for a child below the age of 15 years, containing thirty-six pages shall be in force for a period of 5 years from the date of its issue or until the child attains the age of 15 years, whichever is earlier."

IndiaCode

3. In Schedule IV to the principal rules:-

(a) for serial No. 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely :-

1	2	3	4
"1.	Ordinary passport containing thirty six pages with a maximum validity of ten years (no exrta fee will be charged for renewals upto ten years if initial validity is less).	Rs. 300/-	Rs. 750/-
1a.	Ordinary passport containing thirty six pages with a maximum validity of twenty years (no exrta fees will be charged for renewals upto twenty years if initial validity is less).	Rs. 600/-	Rs. 1500/-
1b.	Ordinary passport containing sixty pages valid for ten years (no exrta fees will be charged for renewals upto ten years if initial validity is less).	Rs. 500/-	Rs. 1000/-
1c.	Ordinary passport containing sixty pages valid for twenty years (no exrta fees will be charged for renewals upto twenty years if initial validity is less)	Rs. 800/-	Rs. 1750/-
1d.	Ordinary passport containing thirty six pages with a maximum validity of five years for minor children below the age of 15 years.	Rs. 200/-	Rs. 500/-"

(b) for serial No. 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely :-

1	2	3	4
"14.	Miscellaneous services requiring issue of fresh passport booklet containing thirty six pages.	Rs. 300/-	Rs. 750/-
14a.	Miscellaneous services requiring issue of fresh passport booklet containing sixty pages.	Rs. 500/-	Rs. 1000/-"

(c) for serial No. 21 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely :-

1	2	3	4
"21	Issue of duplicate passport in liue of passport which has been lost, stolen, damaged, destroyed or for any other reason.	Rs. 2500/-	Rs. 6500/-"

[File No. VI/401/39/93]

FRANCIS VAZ, Jt. Secy.

Note :—Principal rules published vide Notification No. GSR 697 (E) dated December, 11, 1980 (1980 external) Part II, Section 3, sub-section (i), subsequently amended by :—

1. Notification No. GSR 50 (E) dated February 7, 1981.
2. Notification No. GSR 469 (E) dated June 24, 1982.
3. Notification No. GSR 325(E) dated April 12, 1983.
4. Notification No. GSR 494(E) dated June 16, 1983.
5. Notification No. GSR 345 (E) dated March 29, 1985.
6. Notification No. GSR 860 (E) dated November 1, 1985.
7. Notification No. GSR 1155 (E) dated November 21, 1988.
8. Notification No. GSR 100 (E) dated March 4, 1991.
9. Notification No. GSR 503 (E) dated July 10, 1993.
10. Notification No. GSR 622 (E) dated June 27, 1990.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998

IndiaCode